

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(113)एमई / ग्रुप-1 / 2013


जयपुर, दिनांक :

28 FEB 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम-5 के अन्तर्गत निश्चेतन विशिष्टता के चिकित्सक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 21-9-2015 को आयोजित बैठक की अनुशंसा को डॉ. शोभा उज्जवल, आचार्य निश्चेतन व डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य निश्चेतन के प्रकरण में रिव्यू करने के लिए डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 16-2-2018 को आयोजित की गई। कमेटी की अनुशंसा पर डॉ. शोभा उज्जवल, आचार्य निश्चेतन व डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य निश्चेतन को पूर्व में दिनांक 01-4-2015 से वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतन के पद पर प्रदान की गई पदोन्नति के स्थान पर उक्त दोनों चिकित्सक शिक्षकों को दिनांक 01-4-2016 से वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतन के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आदेश से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव